Rashtriya Sahara, Delhi
Sunday, 5th January 2020; Page: 7
Width: 28.24 cms; Height: 15.76 cms; a3r; ID: 24.2020-01-05.48

छापे के दौरान न हो कैदियों के मानवाधिकार का उल्लंघन : हाईकोर्ट

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार व जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जब भी जेल में छापेमारी करें, उस दौरान कैदियों के मानवाधिकारों का ध्यान रखें। यह सुनिश्चित करें कि छापेमारी के दौरान उनके मानवाधिकार का उल्लंघन न हो। साथ ही नियम व प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने यह निर्देश देते हुए कैदियों की अर्जी निपटा दी।कोर्ट ने इस मामले में तिहाड़ जेल के 15 कैदियों के पत्र पर संज्ञान लेते हुए सरकार व जेल अधिकारियों से जवाब मांगा है। पत्र लिखने वाले कैदियों ने एक उपनिरीक्षक पर कैदियों

> **कोर्ट ने तिहाड़ के 15 कैदियों के पत्र पर प्रदेश सरकार व जेल अधिकारियों से जवाब मांगा**

को किसी खास धर्म के कैदियों पर हमले के लिए उकसाने का आरोप लगाया था।

कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद जेल अधीक्षक ने मामले की जांच कराई और रिपोर्ट दाखिल की। उ रिपोर्ट में कहा कि छापेमारी के दौरान टीएसपी ने मानक प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया था। इस दौरान उच्च सुरक्षा वार्ड में कैदियों से प्रतिबंधित सामान मिले थे। सामान के जब्त होने पर कैदी आक्रोशित हो गए थे और उसे देखते हुए उन्हें नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया गया। इस दौरान कुछ कैदियों को चोट आई थी और उन्हें चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया गया था। रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कुछ ज्यादा किए जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भी जेल में औचक छापेमारी की जाती है और प्रतिबंधित सामान मिलता है तो कैदियों की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया की संभावना रहती है।